10.11.2021

पत्रावली आज प्रशासन गाँवों के संग अभियान-2021 कैम्प पंचायत मुख्यालय महोली पर पेश हुई। वकील अपीलान्ट उप० पर बहस अपील सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलान्ट के यह अपील इस आशय की पेश की है कि अधीनस्थ न्यायालय ने नामा० नं. 1708 दिनांक 5-10-2020 को विरासत के आधार पर रेस्पोडेन्ट नं. 1 के हक मे स्वीकृत किया है जो गलत है। क्योंकि रेस्पोडेन्ट नं. 1 के पति ध्रुव सिंह पुत्र नारायण सिंह राजपूत महोली ने दि० 28-7-2020 से पूर्व दिनांक 9-5-2013 के फौत होने से पूर्व ही ख०नं. 44 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा ख०नं. 47 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा के 3/4 हिस्सा की भूमि को अपीलान्ट के हक मे बमाला कलाम कर कब्जा अपीलान्ट को संभला दिया इसलिए उक्त भूमि विक्रय शुदा की हद तक नामा० अपीलान्ट के नाम स्वीकृत किया जाना न्यायोचित है और जेर अपील नामान्तकरण निरस्त किये जाने योग्य है। अपील के साथ बयनामा की फोटो प्रति प्रस्तुत की है। अपीलान्ट को उक्त निर्णय की व नामान्तकरण की जानकारी दिनांक 17/12/2020 को नकल प्राप्त होने पर हुई है। जानकारी दिवस से अपील अन्दर म्याद प्रस्तुत है। धारा 5 म्याद अधिनियम का [illegible] 5-10-2020 से दि० 17/12/2020 के [illegible] के लिए मय शपथपत्र [illegible] पेश किया गया है। और अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2022.01.11 10:49:31 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	हुक्म के नीचे नम्बर में जारी
	पत्रावली मे प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड व फोटो प्रति बयनामा दि० 9.5.2013 से भूमि जेरअपील खं० नं० 44 व 47 ग्राम महोली के 3/4 हिस्सा को मृतक धुव्रसिंह द्वारा अपनी मृत्यु से पूर्व ही अपीलान्ट को जरिये रजिस्टर्ड बयनामा विक्रय कर चुका है। इसलिए खं० नं० 44 व 47 की हद तक जेर अपील नामान्तकरण विधि विरुद्ध है और निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। नामा० नं० 1708 दिनांक 5/10/2020 ग्राम महोली तहसील करौली खं० नं० 44 व 47 कुल किता 2 कुल रकबा 4 बीघा 09 बिस्वा ग्राम महोली के 3/4 हिस्सा की हद तक निरस्त किया जाता है। तहसीलदार करौली मुताबिक बयनामा दि० 9/5/2013 के अपीलान्ट के हक मे 3/4 हिस्सा का नामान्तकरण अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर देकर बाद जाँच दर्ज करने का गुणावगुण पर निर्णय पारित करे। निर्णय की प्रमाणित प्रति पालनार्थ तहसीलदार करौली को भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 10.11.2021 को सुनाया गया। Signature Not Verified Digitally signed by Dhirendra Singh Date: 2022.01.11 10:49:31 IST Reason: SelfAttested [stamp: ... अधिकारी करौली]	

Scanned with CamScanner